# झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग

2रा तल्ला, राजेन्द्र जवान भवन–सह–सैनिक बाजार, मेन रोड, रॉची – 834001.

## सार्वजनिक सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने (1) आधुनिक पावर एवं नेचुरल रिसोर्स लि० के साथ हुए विद्युत क्रय का मूल एकरारनामा दिनांक 28.09.2012 एवं अनुपूरक एकरारनामा दिनांक 06.11.2017 एवं (2) इन्लैंड पावर लि० के साथ हुए विद्युत क्रय का मूल एकरारनामा दिनांक 23.02.2012 एवं अनुपूरक एकरारनामा दिनांक 22.04.2013 के अनुमोदन के लिए आयोग के समक्ष आवेदन दिया है । बिजली वितरण लि० के द्वारा इसकी सूचना दिनांक 26, 27 एवं 29 मई 2018 के विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित करते हुए दिनांक 19/06/2018 तक आपत्ति/सुझाव/मंतव्य मांगा था । झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त आवेदन पर उन्हें कोई भी आपत्ति/सुझाव/मंतव्य प्राप्त नहीं हुआ ।

विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार उक्त एकरारनामाओं (PPAs) को अनुमोदित करने के पूर्व झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग, रॉची के द्वारा पारदर्शिता एवं सुझाव/ आपत्ति/मंतव्य देने के लिए एक और मौका देने के उद्येश्य से **दिनांक 22.02.2019 को (1) 11:30 बजे पूर्वाह्न** से **आधुनिक पावर एवं नेचुरल रिसोर्स लि०** एवं **(2) 2:30 बजे अपराह्न** से **इन्लैंड पावर लि०** का **जन–सुनवाई** राजेन्द्र जवान भवन–सह–सैनिक बाजार, रॉची के दूसरे तल्ले में स्थित आयोग के कार्यालय कक्ष में होगी ।

सभी इच्छुक व्यक्ति/संस्था, उपभोक्ता, उपभोक्ता–समूह एवं विज्ञप्तिधारियों से अनुरोध है कि उक्त जन–सुनवाई में उपस्थित होकर अपना सुझाव एवं मंतव्य आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें । इच्छुक व्यक्ति/संस्था प्रारूप की प्रति आयोग से भी प्राप्त कर सकते है ।

आदेशानुसार

(ए० के० मेहता)
सचिव